# फरीदाबाद मजदूर समाचार

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

नई सीरीज नम्बर 62 | अगस्त 1993 | 1/-


**इस अंक में**


- ईस्ट इंडिया कॉटन मिल्स
- मोहता इलैक्ट्रो स्टील
- ट्रक चक्का जाम
- पारिवारिक हिंसा
- हड़ताल बनाम तालाबन्दी
- एफीसियेन्सी


### क्या संयुक्त संसदीय समिति

## मनमोहन सिंह-हर्षद मेहता को भारत-रत्न की सिफारिश करेगी?

रविवार, 11 जुलाई 1993 के इकॉनोमिक टाइम्स के प्रथम पृष्ट के शीर्ष में सात कालम में फैली अखबार के विशेष संवाददाता की एक रोचक रिपोर्ट है। शेयर बाजार घोटाले में लिप्त किन्हीं लोगों के हितों ने रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण भेद उजागर किये हैं।

इकॉनोमिक टाइम्स के अनुसार अनियमितताओं ने बैंकों को भारी मुनाफे दिलाये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1991 में 107 करोड़ रूपये का लाभ हुआ था। 1992 में सट्टा बाजार में हेरा-फेरियों में शामिल होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोफिट 975 करोड़ रूपये हो गया। साल-भर में ही लाभ में 868 करोड़ रूपये की वृद्धि को कम तो आज शायद ही कोई कहेगा – मंत्री-अफसर- हर्षद के कमीशन पर उंगली उठाना तिल का ताड़ बनाना है। इसी राह से केनरा बैंक ने 1991 की तुलना में 1992 में 80 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ बटोरा।

इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट सरकारी कम्पनियों द्वारा सट्टा बाजार में पैसा लगाने के लिये बैंकों व ब्रोकरों को ऊंची ब्याज दर पर पैसे देने की बात भी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल-भर में ही सरकारी कम्पनियों ने कम से कम 630 करोड़ रूपये की भारी राशि ब्याज के तौर पर प्राप्त की। रिपोर्ट डबल इन्ट्री आदि की बात करके 36 हजार करोड़ की बजाय 9 हजार करोड़ रूपये पर वार्षिक ब्याज का आंकड़ा देती है। वैसे 18 हजार करोड़ रूपये की राशि अधिक तर्कसंगत है और उस पर ब्याज 1260 करोड़ रूपये बनता है। लेकिन यह ब्याज तो 12 महीनों पर है जबकि सरकारी कम्पनियों ने अप्रैल 90 से दिसम्बर 92, यानी 20-21 महीनों के लिये पैसे ब्याज पर दिये थे। इस प्रकार सरकारी कम्पनियों ने सट्टा बाजारी के लिये दिये पैसों पर कम से कम 2100 करोड़ रूपये ब्याज में बटोरे। भारत सरकार के लिये चांदी कूटने वाले नेताओं-अफसरों-दलालों की बलि देने की कोई तुक है क्या?

इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। शेयर मार्केट में उछाल ला कर घोटाले ने सरकारी कम्पनियों के शेयरों को ऊंचे भावों पर बिकवाया। और फिर, घोटाले ने ही वह हालात निर्मित की कि सरकारी कम्पनियों ने बॉन्ड जारी करके ढेरों पैसा बटोरा। इस मद में भारत सरकार को हुये लाभ का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घोटाला उजागर होने के बाद सरकारी कम्पनियों की बॉन्ड बेच कर 6000 करोड़ उगाहने की कोशिशें बुरी तरह विफल रही हैं।

इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट का लुब्बोलुबाव यह है : सट्टा बाजार घोटाले के जरिये भारत सरकार ने ढेरों में नोट बटोरे।

लपकने-भर के लिये उछल रहे नोटों को बटोरने में सरकारी बैंक और सरकारी कम्पनियां ही नहीं बल्कि अन्तरराष्ट्रीय बैंक भी जुटे थे। लूट मची थी और ऐसे में किसी की उंगलियां दब जाना छोटी-मोटी रिस्क मात्र है। केनरा बैंक की केनफिना व केनम्युचुअल के 800 करोड़ और स्टेनचार्ट के 1100 करोड़ रूपये इसी कैटेगरी में आते हैं।

**इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट जिस सवाल को नहीं उठा रही वह यह है : उछल रहे नोट किसके थे? सरकारी बैंकों, सरकारी कम्पनियों, अन्तरराष्ट्रीय बैंकों, दलालों और अफसरों-मंत्रियों ने जो नोट बटोरे वे किसके थे?**

लाटरियों के जरिये सरकार करोड़ों लोगों की जेबों से पैसे निकालती है। शेयर मार्केट घोटाले के जरिये भारत सरकार ने लाखों लोगों की बचत पर हाथ साफ किये। इस सन्दर्भ में हमारे जून 1992 अंक में "सट्टा बाजार : सरकारी आमदनी का एक और जरिया" लेख के एक अंश पर पुनः नजर दौड़ायें –

"शराब-सिगरेट-लाटरी की ही तरह सट्टा बाजार भी सरकारों की आमदनी का एक जरिया है। सट्टा बाजार आजकल सरकारों की आय का एक बड़ा स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत में हाल के घोटाले को देखें।

"युनिट ट्रस्ट-बीमा-बैंक भारत में केन्द्र सरकार के हैं। अपनी खस्ता होती हालत को सुधारने के लिये कुछ समय पहले इन्होंने सट्टा बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया और चांदी कूटने लगे। सट्टा बाजार में सक्रियता बढ़ी। फर्जी पूंजी तक को 'उत्पादक' बनाने के स्वर्ण अवसर दलालों और सरकारी साहबों ने पैदा किये – शायद पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र में यह अनुठा भारतीय योगदान है। सरकार की नई आर्थिक नीतियों की आड़ में शेयरों के भावों को फर्जी पूंजी के इस्तेमाल के जरिये नित नई ऊंचाइयों की ओर धकेला गया – उद्योगों के उत्पादन से शेयरों के इन भावों का कोई सम्बन्ध नहीं था। छटु-पुट बचत करने वाले लाखों को इन हालात में सट्टा बाजार की ओर आकर्षित होना ही था – पाई-पाई जोड़ने की बजाय गड्डियां उनकी आंखों के आगे नाच रही थी। एक हद तक फुलाने के बाद बुलबुले को फोड़ना / उसका फूटना लाजमी था – अन्यथा मुनाफा कहां से आता। 2 अप्रैल को गुब्बारे में सूई चुभाई गई और अपनी बचत से सट्टा खेलने आये लाखों लोगों के करोड़ों रूपये गायब हो गये – सरकार और बिचौलियों की तिजोरियों में पहुँच गये। इतने बड़े ऑपरेशन में किसी का फेर में पड़ कर जान गंवाना अथवा किसी हर्ष को विषाद के समुद्र में गोते लगाना तो साइड इफैक्ट हैं। रस्मी शोर, सरकार द्वारा जाँच तथा कार्रवाई आदि जरूरी थे ताकि अपनी बचत से सट्टा खेलने वालों को पुचकारा जा सके और अगले राउन्ड के लिये उन्हें तैयार किया जा सके।"

इकॉनोमिक टाइम्स अपर्याप्त आँकड़ों से मोटा-मोटी हिसाब ही लगा पाया है और संयुक्त संसदीय समिति के पास पर्याप्त आँकड़ों तथा योग्य व्यक्ति होने की बात करते हुये उसने समिति से अपील की है कि वह हकीकत को सार्वजनिक करे।

हमारे विचार से संयुक्त संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित करके उसमें भारत सरकार की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में महती भूमिका निभाने वालों के तौर पर वित्तमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त सचिव गीताकृष्णन, रिजर्व बैंक गवरनर वेंकिटरमणन, हर्षद मेहता और हितेन दलाल का प्रमुखता से जिक्र करना चाहिये। शेयर मार्केट वाली शतरंज की उस बाजी में भारत सरकार की तरफ से खेलने वाले बैंक अधिकारियों, सरकारी कम्पनियों के अफसरों और अन्य लोगों की देश-सेवा का जिक्र भी समिति की रिपोर्ट में होना चाहिये। देश-हित में बुद्धि-कौशल वाले भागीरथी प्रयासों के लिये मनमोहन सिंह, गीताकृष्णन, वेंकिटरमणन, हर्षद मेहता और हितेन दलाल को भारत-रत्न से अलंकृत करने की सिफारिश संयुक्त संसदीय समिति को करनी चाहिये। साथ ही, समिति को अन्य भागीदारों के नाम पद्मविभूषण-पद्मश्री के लिये रिकमन्ड करने चाहियें। यह कर सकी तो संयुक्त संसदीय समिति अपने कर्तव्य का समुचित पालन कर पायेगी।

नोट – इसे व्यंग नहीं समझें।

### पाठकों से

इस अखबार में हम महिला एवं पुरूष मजदूरों के जीवन और आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा में पाठकों की अधिकाधिक भागीदारी के इच्छुक हैं। अपनी फैक्ट्री में, अपनी बस्ती में, अपनी निजी जिन्दगी में अथवा अन्यत्र निगाह में आई ऐसी सामग्री हमें भेजें। हम ऐसे मैटेरियल को प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे – नाम देना अथवा नहीं देना लिखनेवालों की इच्छा पर है। अपनी बात छपवाने के लिये आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। बेझिझक और विस्तार से अपनी बात हम तक पहुंचायें – स्वयं नहीं मिल सकें तो डाक से हमें भेजें।

इस अखबार में प्रकाशित सामग्री को स्वतंत्रता से पुनः प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसे प्रकाशनों की हमें सूचना देंगे तो हमें अच्छा लगेगा।


मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद -121001 (यह जगह बाटा चौक के पास है)

पत्र

## 1. एस्कोर्ट्स में अप्रेंटिस वरकर

एस्कोर्ट्स के विभिन्न प्लान्टों में काम कर रहे अप्रेंटिस 28-6-93 को इक्ट्ठे हो कर 18 सैक्टर में वी टी सी आई टी आई प्रिंसीपल से मिले। हमने प्रिंसीपल महोदय को बताया कि एस्कोर्ट्स के प्लान्टों में हमसे प्रोडक्शन का काम करवाया जा रहा है और हमें नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है जबकि हमें मात्र 600 रूपये प्रतिमाह स्टाइपेन्ड मिलता है। एक अकुशल मजदूर को 43 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। हमने प्रिंसीपल साहब से स्टाइपेन्ड बढा कर 1200 रूपये प्रतिमाह करने की मांग की। इस पर उन्होंने हमें ट्रेनिंग निर्देशक से मिलने को कहा। हम ट्रेनिंग निर्देशक से मिले तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे और नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारा स्टाइपेन्ड 600 रूपये ही रहेगा। हम सब ने पैसे बढवाने की मांग की तब उन्होंने वायदा किया कि 7-7-93 से बेसिक स्टाइपेन्ड हमें बढ कर मिलेगा पर कितना बढेगा यह नहीं बताया। आज तक तो हमारा स्टाइपेन्ड बढा नहीं है।

गुडईयर और आयशर ट्रैक्टर में अप्रेंटिसों से प्रोडक्शन नहीं लिया जाता। गुडईयर में अप्रेंटिसों को 850 रूपये प्रतिमाह और आयशर में 750 रूपये प्रतिमाह मिलते हैं।

हम लोग एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट से मिले तो हमें कहा गया कि अपने अधिकारों की फाइल लाओ तभी कुछ एक्शन लिया जायेगा।

किसी भी अप्रेंटिस को ई एस आई सुविधा नहीं है जबकि एस्कोर्ट्स में कैजुअल वरकर को कार्ड देते ही ई एस आई नम्बर दे दिया जाता है। दुर्घटना का फैक्ट्री में हर समय अन्देशा रहता है इसलिये ई एस आई सुविधा अप्रेंटिसों के लिये एक आवश्यकता है।

एस्कोर्ट्स के प्लान्टों में काम कर रहे हम अप्रेंटिस वरकरों की डिमान्ड है कि हमें कैजुअल वरकरों के बराबर 43 रूपये रोज के हिसाब से पैसे दिये जायें। हमसे प्रोडक्शन लेना और नाइट ड्यूटी बन्द कर दिये जायें तो हमें 950 रूपये प्रतिमाह स्टाइपेन्ड दिया जाये।

एस्कोर्ट्स में अप्रेंटिस कुल मजदूरों के 6-7 परसैन्ट हैं। मई माह में हम एस्कोर्ट्स यूनियन के प्रधान से मिले पर उन्होंने हमें टका सा जवाब दे दिया।

27-7-93 **एस्कोर्ट्स के अप्रेंटिस वरकर**

## 2. फरीदाबाद सब्जी मण्डी नम्बर 1 में आढ़तियों का दुर्व्यवहार

हम फुटकर सब्जी विक्रेता प्रतिदिन सब्जी खरीदते हैं। आढ़तिये हमारे साथ गाली-गलौज करते हैं तथा अनायास मार-पीट की धमकी देते हैं। मण्डी छोटी है। इसमें से रिक्शा की कौन कहे, आदमी आर-पार नहीं जा सकता। आढ़तियों के आदमियों से ही मण्डी भरी रहती है। आढ़तिये जबरदस्ती अधिक रेट पर सामान दे देते हैं – माल सड़ा हो या गन्दा। इस पर कोई बात करें तो आढ़तिये गाली देते हैं और उनके आदमी मारने की धमकी देते हैं। हम छोटे-छोटे विक्रेता अधिकतर फैक्ट्रियों से निकाले गये मजदूर हैं और मण्डी में आ कर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अन्दर सब्जी बेचने वाले भी आढ़तियों के चेले हैं। कुछ फड़ वालों से अगर हम एक धड़ी सब्जी लेते हैं तो घर आ कर साढ़े चार किलो ही मिलती है। उनको शिकायत करते हैं तो वे भी आढ़तियों वाली भाषा बोलते हैं। मण्डी छोटी है और कीचड़ से भरपूर है। प्रशासन एवं आढ़तिये यह मण्डी छोड़ने को तैयार नहीं हैं जबकि डबुआ में सब्जी मण्डी बन कर तैयार हो गई है।

**– कुछ भुक्तभोगी**

## पारिवारिक हिंसा

हिंसा का एक प्रमुख अखाड़ा घर-परिवार है। 1993 की वर्ल्ड डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार 20 से 50 प्रतिशत औरतों से उनके पति मार-पीट करते हैं। भारत जैसे देशों में तो चाल-चलन के नाम पर जवान बेटियों-बहनों से मां-बाप-भाइयों-भाभियों द्वारा मार-पीट आम बात है। व्यापक स्तर पर बच्चों की पिटाई और बड़े-बूढ़ों की तौहीन ऊपर से हैं।

सरसरी निगाह से देखने पर प्रत्येक मामले में इस अथवा उस का दोष दिख सकता है लेकिन वास्तव में घर-परिवार में हिंसा का निजी कमियों से कम ही वास्ता है। घरों में हिंसा एक सामाजिक घटनाक्रम है।

खानदान की इज्जत, परिवार की प्रतिष्ठा, घर का मान-सम्मान उन बाधाओं में हैं जिनसे निपटते हुये ही घर-परिवार में हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है। अगर आप घर-परिवार में हिंसा के खिलाफ लड़ना चाहती/चाहते हैं तो घर की चारदीवारी की भ्रमपूर्ण सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलना होगा।

## डाक्टर वरकर और मरीज

अपनी दुकान-क्लीनिक खोले बैठे डाक्टरों की यहां हम चर्चा नहीं कर रहे। यहां हम उन डाक्टरों की बात करेंगे जो अस्पतालों में नौकरी करते हैं – डाक्टर जो कि मेडिकल वरकर बन गये हैं।

शिफ्टों में ड्यूटी, अत्याधिक वर्क लोड, असहय वर्किंग कन्डीशन, तावेदारी और कार्य में अरूचि अन्य मजदूरों के ही समान डाक्टर वरकरों को भी भुगतनी पड़ती है। ट्रान्सपोर्ट, डाक-तार, बिजली-पानी आदि क्षेत्रों के वरकरों की तरह ही चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत बहुत-से वरकर भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिये हेरा-फेरी का सहारा लेते हैं। लेकिन इक्के-दुक्के की बात छोड़ दें तो इससे हो यह रहा है कि हर क्षेत्र के मजदूरों की समस्यायें बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रान्सपोर्ट-मेडिसन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत वरकर जब अपनी समस्याओं के समाधान के लिये आन्दोलन की राह अपनाते हैं तब विगत की यह छोटी-मोटी हेरा-फेरियां सिर पर चढ़ कर बोलती हैं। अन्य मेहनतकशों को हुई दिक्कतें उन्हें इन वरकरों के आन्दोलन के प्रति बेरूखी तो बनाती ही हैं, मैनेजमेंटें-सरकारें दुखती रगों को छेड़ कर आन्दोलनरत वरकरों के खिलाफ अन्य मेहनतकशों को उकसाने में भी अक्सर कामयाब होती हैं। यह वह हालात हैं जो "करें तो मरें, नहीं करें तो मरें" की स्थिति कई क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के लिये निर्मित करती हैं।

"पहले अन्डा कि पहले मुर्गी" वाली गुत्थी को सुलझाने की राह पर इधर दिल्ली में डाक्टर वरकरों ने एक कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में अस्पतालों में जाँच-टेस्टों की फीस बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एक हजार के करीब डाक्टरों ने फीस बढ़ाने का विरोध किया है। डाक्टर वरकरों ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आते अधिकतर मरीजों के लिये फीसों में वृद्धि असहय है।

## ट्रकों का चक्का जाम

अपने बन्धुओं से हिस्सा-पत्ती के लिये चल रही खींचा-तान में ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों की मैनेजमेंटें एक बार फिर 18 लाख ट्रकों के पहिये जाम करने के मुकाम पर पहुंच गई हैं। 31 जुलाई से अनिश्चितकाल तक ट्रकों को जाम करके 90 करोड़ रूपये प्रतिदिन की हानि सहन करने की बात इन मैनेजमेंटों की शीर्ष संस्था, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। चुंगी और रोड़ टैक्स खत्म करवाने के लिये ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों ने दूसरी बार कमर कसी है।

ट्रक ड्राइवरों, क्लीनरों, बुकिंग क्लर्कों आदि का इस चक्का जाम से कुछ भी लेना-देना नहीं है। सड़क से माल ढोने के क्षेत्र में कार्यरत इन मजदूरों के लिये प्रस्तावित चक्का जाम मैनेजमेंटों द्वारा तालाबन्दी है। रेडियो-टी वी-बड़े अखबारों द्वारा इस लॉक आउट को हड़ताल प्रचारित करना एक और उल्टा-पुल्टा मात्र है। और, "भ्रष्टाचार के अड्डे खत्म करने" जैसी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों की मैनेजमेंटों की बातों की हकीकत को ट्रक ड्राइवरों-बुकिंग क्लर्कों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा।

ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों की मैनेजमेंटों की तालाबन्दी से ट्रक ड्राइवर, क्लीनर आदि वरकर प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे – जो चौकस नहीं होंगे उनकी ध्याड़ी मारी जायेगी। ऐसे में भी लॉक आउट के दौरान मुट्ठी-भर वरकरों द्वारा मैनेजमेंटों की चमचागिरी, थोड़े-से वरकरों का प्रचार के झांसे में आ कर मैनेजमेंटों को सहयोग देना और मजदूरों के विशाल बहुमत का ठगे-ठगे से रहना ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र के मजदूरों की स्वाभाविक प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन यह इन मजदूरों के हितों के खिलाफ है। ट्रक ड्राइवरों, क्लीनरों, बुकिंग क्लर्कों आदि वरकरों द्वारा तालाबन्दी के दौरान मजदूरों के हितों और ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों की मैनेजमेंटों के हितों में भिन्नता को पहचानना और तदनुरूप कदम उठाने जरूरी हैं अन्यथा बेगानी शादी में अबदुल्ला दीवाना.....

**पांच-छह अरब लोगों के हाथों में अर्थपूर्ण भविष्य की कुंजी है – पांच-छह अरब के सचेत सामुहिक हाथों में। मजदूर पक्ष के निर्माण के लिये आवश्यक सचेत सामुहिक एकता में योगदान के उद्देश्य से हम यह अखबार प्रकाशित करते हैं।**

# मैनेजमेन्ट ने जुर्माना दिया

ईस्ट इंडिया कॉटन समूह की राजेश्वरी टैक्सटाइल्स, कृष्णा पावरलूम और न्यू इंडिया टैक्सटाइल्स के दो लूम ड्रावक्स मशीनें चलाने वाले 100 के करीब मजदूर जनवरी 1990 से लागू हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लेने के लिये काफी समय से प्रयासरत हैं। कई लटके-झटकों के बाद जुलाई 1991 में जा कर इन मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया गया पर जनवरी 90 की बजाय नवम्बर 90 से और वह भी 4 वरकरों को छोड़ कर। उस न्यूनतम वेतन के भुगतान के एवज में मैनेजमेंट ने एक मुखर मजदूर को नौकरी से निकाला।

जनवरी 90 से अक्टूबर 90 तक के लिये न्यूनतम वेतन (चार को आगे तक) के लिये इन मजदूरों ने मई 91 में पेमेन्ट ऑफ वेजेज अथोरिटी, सर्कल -II फरीदाबाद के सम्मुख न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत केस दायर किया था। इससे पूर्व बकाया वेतन के केस में मजदूरों की डिमान्ड को कानून सम्मत मानते हुये भी तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था और न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत केस की बात की गई थी। कुर्सी पर नये साहब आये और उन्होंने पहले वाले केस में दी गई मैनेजमेंट की गवाही को ही नये केस के लिये स्वीकार कर लिया पर फिर भी दो साल तक मामले को खींच ही डाला। 29-3-93 को साहब ने फैसला दिया – उल्टा-पुल्टा, बेसिरपैर का फैसला। लगभग 100 मजदूरों की जनवरी 90 से अक्टूबर 90 तक 65 रूपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन से कम दिये जाने की बात थी और 4 की जनवरी 90 से मई 91 और आगे की। बुद्धिमान साहब कहिये चाहे शुक्रगुजार साहब, हैं जनाब कमाल के। फरीदाबाद सर्कल-II के पेमेन्ट ऑफ वेजेज अधिकारी ने जनवरी-अक्टूबर 90 की डिमान्ड की जगह दिसम्बर 90 - मार्च 91 के लिये 30-40 रूपये प्रतिमाह और न्यूनतम वेतन नहीं देने के लिये 100 रूपये जुर्माना प्रत्येक मजदूर को दिये जाने का आदेश दिया। लगता है कि यह बेसिरपैर का फैसला जान-बूझ कर दिया गया था क्योंकि नवम्बर 90 से 4 मजदूरों को छोड़ कर बाकी सब को न्यूनतम वेतन दे दिया गया था। शीघ्र ही मैनेजमेंट ने साहब के सम्मुख फैसले के रिव्यू के लिये आवेदन दे दिया ताकि साहब की सद्बुद्धि का मैनेजमेंट कुछ और उपयोग कर सके। लेकिन मजदूरों ने आगे अपील करके पेमेन्ट ऑफ वेजेज अधिकारी, फरीदाबाद सर्कल-II और ईस्ट इंडिया मैनेजमेंट की स्कीम को गड़बड़ा दिया। साहब के फैसले को लागू करना कानूनी जरूरत बन गई। सिर पीट कर 29 मार्च के फैसले के तहत 100-100 रूपये जुर्माने के मैनेजमेंट ने 17 जुलाई को मजदूरों को दिये। फैसले में 2-3 सौ रूपये प्रत्येक मजदूर को और देने की बात थी पर मैनेजमेंट ने वे नहीं दिये हैं। साहब के क्लर्क ने उन पैसों के बारे में यह कह कर भेद खोल दिया कि वे तो मजदूरों को जुलाई 91 में ही मिल गये थे। फिर जुर्माना किस बात का?! एक आंख पर पट्टी वाला न्याय गड़बड़ा गया.....

मैनेजमेंट और उसके लगुओं-भगुओं के डर-लालच में आ कर जिन 10-15 मजदूरों ने दूसरी बार केस के कागजों पर दस्तखत नहीं किये थे उन्हें 17 जुलाई को 100-100 रूपये नहीं दिये गये। स्वामीभक्ति-दल्लागिरी की मिट्टी पलीद होने लगी। दस-बारह दिन की मिन्नतों के बाद उन मजदूरों को भी 100-100 रूपये **जुर्माने** के दिये गये।

# मोहता इलैक्ट्रो स्टील

## कभी आन्दोलन नहीं किया फिर भी तालाबन्दी

1983 में मैटल बॉक्स में लॉक आउट पर फरीदाबाद में बड़े-बड़े पोस्टर लगा कर मैटल बॉक्स के मजदूरों और स्टाफ ने अपने दुख का इजहार इन शब्दों में किया था : "हमने कभी भी आन्दोलन नहीं किया और देखो मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री में तालाबन्दी कर दी....."

भिवानी स्थित मोहता इलैक्ट्रो स्टील के मजदूरों और स्टाफ ने फैक्ट्री स्थापना के 18 वर्ष बाद पहली बार 27 जून 93 को गेट मीटिंग करके मैटल बॉक्स वरकरों जैसे अपने भाव प्रकट किये। और 28 जून को मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री में तालाबन्दी घोषित कर दी।

मोहता इलैक्ट्रो स्टील फैक्ट्री में 700 मजदूर और स्टाफ के लोग काम करते रहे हैं। बिना किसी ना-नुकुर के मजदूर धकाधक काम करते रहे हैं और 18 साल तक अमन-चैन का मिल में बोलबाला रहा है। फिर भी, कुछ समय पहले मैनेजमेन्ट ने पाया कि मिल भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। माल का उठान कम है, कच्चे माल का भाव ज्यादा है व तैयार माल का भाव मन्दा। मैनेजमेन्ट ने रविवार को काम बन्द रखने व रात्रि शिफ्ट पूर्णतया बन्द करने के आदेश जारी कर दिये। और साथ ही, मजदूरों के सामने नौकरी छोड़ने के लिये एक वालेन्टरी स्कीम पेश कर दी। 60 लोगों ने हिसाब ले भी लिया। पर मध्य-जून में अचानक चीफ एग्जेक्यूटिव मिल परिसर स्थिति निवास को छोड़ कर मुख्यालय दिल्ली चले गये और फैक्ट्री मैनेजर भी गायब हो गये। मैनेजमेन्ट के एक नये सलाहकार ने उसी समय आ कर मजदूरों से इस्तीफे लेने शुरू किये – मजदूरों ने उसे फैक्ट्री गेट से निकाल दिया। नौकरी छोड़ने के लिये दबाव और फैक्ट्री बन्द होने के आसार से मजदूरों में तनाव फैल गया। मजदूर चीफ एकाउन्टेन्ट के पास पहुँचे पर वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। तब पहली बार वरकरों ने 27 जून को प्रबन्धकों के खिलाफ गेट मीटिंग कर अपना आक्रोश प्रकट किया।

मैटल बॉक्स और मोहता इलैक्ट्रो स्टील जैसे घटनाक्रम ढेरों में उपलब्ध हैं। क्या यह हमें सोचने के लिये सामग्री प्रदान नहीं कर रहे? क्या सिर झुकाये काम में जुटे रह कर मजदूर पतली दाल और सूखी रोटी मिलते रहने के बारे में निश्चिन्त हो सकते हैं? क्या नई राह तलाशने की जरूरत नहीं है?

# कोयला खानों में मौतें

नेशनल कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइन्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला खानों में 1992 में 149 खदान मजदूरों की "एक्सीडेन्टों" में मौत हो गई। 1991 की तुलना में 1992 में 24 प्रतिशत अधिक मौतें हुई।

कोल इंडिया की खदानों में भारत में कोयले का 80 प्रतिशत उत्पादन होता है और 1991 की तुलना में 1992 में इनमें "दुर्घटनायें" 11 प्रतिशत अधिक हुई। ईस्टर्न कोलफील्ड्स, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स में "एक्सीडेन्टों" में तीव्र वृद्धि ने प्रतिशत को बढ़ाया। आन्ध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोलफील्ड्स में भी 1991 के 19 की तुलना में 1992 में 27 खदान मजदूरों की "दुर्घटनाओं" में मौत हुई।

अधिकतर "एक्सीडेन्ट-दुर्घटनायें" खदानों की छत अथवा दीवारों के ढहने से हुई।

खर्च कम करने, हेरा-फेरी और लापरवाही के चक्करों को एक्सीडेन्ट-दुर्घटना का नाम देना किसके हित में है?

# एफीसियेन्सी

हिन्दुस्तान वायर्स में आजकल एफीसियेन्सी की डुगडुगी बज रही है। हूटर के समय में फेर-बदल करके हाथ-पैर धोने के मजदूरों के दस मिनट मैनेजमेंट खा गई है। कार्ड पंचिंग फैक्ट्री गेट की बजाय डिपार्टमेन्ट में लागू करके मैनेजमेंट ने मजदूरों से पांच-दस मिनट एक्स्ट्रा लेने शुरू कर दिये हैं। ऐसे में एक फोरमैन ने जब एक मजदूर को एफीसियेन्सी स्कीम के फायदे गिनाने शुरू किये तब उस मजदूर ने पलट कर कहा –

"आप जिन मशीनों की एफीसियेन्सी की बात कर रहे हैं वे यहां बीस साल से चल रही हैं। तीन शिफ्ट रोज चल रही यह मशीनें घिस-पिट गई हैं और आप एक नई मशीन की एफीसियेन्सी इन पर लागू कर रहे हैं। किसी के ड्रम में पानी नहीं है तो किसी के डाई बॉक्स में पानी का बहाव ठीक नहीं है। ढेरों बार हुई मेन्टेनेन्स ने ड्रमों को ऊंचा-नीचा कर दिया है। ड्रम गर्म हो जाने की वजह से तार सट कर चलने की बजाय चार उंगल उठ के चलता है जिससे वह हार्ड हो जाता है और बार-बार काटना पड़ता है। इससे मशीन को बार-बार बन्द करके तार को बट वैल्डिंग करके चलाना पड़ता है। मोटर की फाउंडेशन से लेकर स्विच बोर्ड तक सब जगह नट-बोल्ट बार-बार ढीले पड़ जाते हैं। ट्रेन्ड हैल्पर की बजाय नित नये लोग मशीनों पर भेजे जा रहे हैं। दस-पांच दिन में किसी की उंगली, किसी की कलाई और किसी का हाथ कट जाता है और जब-तब किसी की गाल के आर-पार तार निकल जाता है। फिर भी एफीसियेन्सी स्कीम के जरिये मैनेजमेंट रफ्तार बढ़ाने में लगी है। वाह! बहुत फायदे की है यह स्कीम मजदूरों के लिये। फोरमैन साहब इसे अपनी जेब में रख लो।"

और यह हिन्दुस्तान वायर्स या झलानी टूल्स की ही हकीकत नहीं है। फरीदाबाद में इस समय चौतरफा एफीसियेन्सी का शोर मचा है – मजदूरों के अंग भंग होने की रफ्तार को एफीसियेन्सी स्कीमें बढा रही हैं।

# हड़ताल बनाम तालाबन्दी

मशीनों का चक्का जाम कर देना, प्रोडक्शन बन्द कर देना मजदूरों के हाथों में एक धारदार हथियार रहा है। मशीनों-कारखानों के जमने के दौर में पहली हड़ताल 1768 में हुई और उसके बाद तो हड़तालें मजदूर आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बन गई।

तालाबन्दी-लॉक आउट की पहली घटना 1860 की है। मालिकाने में आ रहे परिवर्तन : पूंजीपति का स्थान लेते जॉइन्ट स्टॉक कम्पनियों के डायरेक्टर वाले घटनाक्रम की यह उपज लगती है। व्यक्तियों के निजी कारखानों की जगह लिमिटेड कम्पनियों के कारखानों के स्थापित होते जाने के साथ तालाबन्दियां बढ़ी। हालांकि लगातार प्रोडक्शन करना लिमिटेड कम्पनियों के कारखानों में भी उनकी प्राथमिक आवश्यकता है फिर भी दो पहलु ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने मजदूरों से निपटने के लिये मैनेजमेंटों द्वारा जब-तब तालाबन्दी को उनके लिये उपयोगी बना दिया है। प्रोडक्शन बन्द से होने वाली हानि का भार लिमिटेड कम्पनियों में कइयों पर, शेयर होल्डरों की जमात पर फैल जाता है इसलिये किसी एक पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ता। एक व्यक्ति के निजी कारखाने से लिमिटेड कम्पनी के कारखाने में स्थिति काफी भिन्न है। इसलिये मजदूरों से निपटने के लिये मैनेजमेंटें जब-तब लॉक आउट का, दीर्घकालीन तालाबन्दी का सहारा ले सकती हैं। दूसरी बात मंडी की मांग से अधिक उत्पादन करने की क्षमता का लगातार बढ़ते जाना है। और इसके साथ मांग में अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव हैं जो कि अलग-अलग कारखानों की मैनेजमेंटों के लिये प्रोडक्शन बन्द करने, तालाबन्दी को जब-तब उपयोगी बना देते हैं। पूंजी की अलग-अलग इकाई के नये नुमाइन्दों, मैनेजमेंटों के लिये जब-तब उपयोगी होने के बावजूद प्रोडक्शन बन्द करना सकल पूंजी, टोटल पूंजी के लिये एक और हानिकारक चीज है।

हड़ताल और तालाबन्दी का सिलसिला आज भी जारी है। पर कुछ समय से दुनियां-भर में देखने में आ रहा है कि प्रोडक्शन बन्द कर देना मजदूरों के हाथों में कोई खास कारगर हथियार नहीं रहा जबकि तालाबन्दी-लॉक आउट मैनेजमेंटों के हाथों में नित पैनी होती जा रही तलवार है।

भारत में 1862-80 में टैक्सटाइल, रेलवे, गवर्नमेंट प्रेस में स्थापना के दौर में ही छुट-पुट हड़तालें हुई। 1895 में अहमदाबाद में हफ्ते बाद दिये जा रहे वेतन की जगह पन्द्रह दिन बाद तनखा देने के फैसले के खिलाफ कपड़ा मिलों में बीवरों-बुनकरों की हड़ताल को भारत में पहली हड़ताल बताते हैं। उसके बाद यहां हड़तालों का तांता लग गया।

बज बज जूट मिल में 1895 में तालाबन्दी भारत में पहली लॉक आउट थी। उसके बाद से तालाबन्दियों का एक अटूट-सा सिलसिला चला है।

सरकारी आँकड़ों में हड़ताल शब्द को हमने उद्धरण चिन्हों (" ") में रखा है। इसके कारणों को थोड़ा स्पष्ट कर दें। पहली बात तो यह है कि सरकारें और मैनेजमेंटें जिन्हें हड़ताल करार देती हैं उनकी एक उल्लेखनीय संख्या तालाबन्दियाँ होती हैं। फरीदाबाद में यह हर रोज देखने को मिलता है – लार्सन टूब्रो स्विचगीयर और ओसवाल स्टील के उदाहरण सामने हैं। दूसरी बात इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण है। आजकल हड़तालें तीन प्रकार की हैं – रस्मी, फर्जी और असली। और, बिचौलियों की - दल्लों की रस्मी-फर्जी हड़तालें ही अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं। मजदूरों की वास्तविक हड़तालों की रेडियो-टी वी - बड़े अखबार आमतौर पर चर्चा ही नहीं करते।

वास्तविक हड़तालों के आँकड़ों से तुलना कर पाते तो बेहतर होता फिर भी, उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रोडक्शन बन्द करना, लम्बे समय तक काम बन्दी के जरिये अपनी शर्तें मनवाने की राह अब मजदूरों की बजाय मैनेजमेंटों की राह बन गई है अथवा बनती जा रही है।

हड़ताल बनाम तालाबन्दी के इस उलट-फेर ने मजदूरों के सम्मुख दो सवाल खड़े कर दिये हैं: 1) लॉक आउटों का मुकाबला कैसे करें?, 2) कारगर संघर्ष के लिये नये हथियार-नई राह कौन से हैं?

इन सवालों के जवाब ढूँढने में पाठकों के योगदान आमन्त्रित हैं।

**आइये भारत सरकार के कुछ आँकड़ों पर निगाह डालें-**

| वर्ष | "हड़तालों" की संख्या | मजदूरों की संख्या | श्रम-दिवस प्रभावित | कुल का प्रतिशत | "हड़ताल" की औसत अवधि (दिनों में) | तालाबन्दियों की संख्या | मजदूरों की संख्या | श्रम-दिवस प्रभावित | कुल का प्रतिशत | तालाबन्दियों की औसत अवधि (दिनों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1240 | 4,32,000 | 29,69,000 | 60.4 | 7 | 117 | 80,000 | 19,50,000 | 39.6 | 25 |
| 1967 | 2433 | 13.40.000 | 1,05,65,000 | 61.6 | 6 | 382 | 1,51,000 | 65,83,000 | 38.4 | 57 |
| 1978 | 2762 | 16,90,000 | 1,54,23,000 | 54.4 | 9 | 425 | 2,26,000 | 1,29,17,000 | 45.6 | 57 |
| 1987 | 1348 | 14,95,000 | 1,40,26,000 | 39.7 | 9 | 451 | 2,75,000 | 2,13,32,000 | 60.3 | 78 |
| 1988 | 1304 | 9,37,000 | 1,25,30,000 | 36.9 | 13 | 441 | 2,54,000 | 2,14,17,000 | 63.1 | 84 |

★ **इजराइल** में 50 हजार सरकारी कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के लिये हड़ताल की है।

★ **फ्रान्स** में पेरिस मेट्रो ट्रेनों की सफाई करने वाले वरकर 9 जून से हड़ताल पर हैं।

★ **अमरीका** में पीबॉडी कोयला खदानों के मजदूर 10 मई से हड़ताल पर हैं। **आस्ट्रेलिया** में एक हजार कोयला खदान मजदूरों ने हड़ताली अमरीकी मजदूरों के समर्थन में हड़ताल की है।

★ **कोलम्बिया** में शराब कारखानों के 7200 मजदूर 38 दिन की हड़ताल के बाद वेतन वृद्धि हासिल करने में सफल हुये हैं।

★ **कोरिया** में ह्युन्दाई ग्रुप के सात कारखानों के 60 हजार मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर वर्किंग कंडीशनों के लिये 7 जुलाई को हड़ताल की।

★ **ब्रिटेन** में अन्तरराष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनी टाइमैक्स की डुन्डी फैक्ट्री के मजदूर 5 महीने से हड़ताल पर हैं।

## चटपट

हितकारी पोट्रीज में मशीन शॉप के वरकरों को मई का वेतन 10 जून तक नहीं मिला। 20 जून भी बिना वेतन निकल गई। 26 जून को प्याली फैक्ट्री की मशीन शॉप के 35 वरकर इक्ट्ठे हो कर डायरेक्टर के पास गये। डायरेक्टर ने उन्हें दफ्तर से बाहर जाने और दो को अन्दर भेजने का हुकम दिया। इस पर मशीन शॉप के सब वरकर वापस मशीन शॉप में आ गये। थोड़ी देर में ही चपरासी वहां पहुंचा और मशीन शॉप के वरकरों से बोला कि अपना वेतन ले लें।

हितकारी पोट्रीज में स्टाफ के 100 लोग हैं और उन्हें अप्रैल-मई-जून महीनों की तनखा जुलाई के तीसरे सप्ताह तक नहीं मिली थी।

## सूचना

डाक से साल-भर अखबार प्राप्त करने के लिये 15 रुपये का बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर द्वारा शेर सिंह, सम्पादक, फरीदाबाद मजदूर समाचार के नाम से मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद – 121001 के पते पर भेजें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे के ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 **पोस्टल रजिस्ट्रेशन** L/HR/FBD/73